

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./116/2022

1. चान्दू पत्नी रामनाथ जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी  
प्रार्थीयां

बनाम

1. गणपत पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. जगदीश पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. बजरंग पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रंगलाल पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. ओमप्रकाश पुत्र उदा जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. घीसालाल पुत्र उदा जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. सांवरलाल पुत्र उदा जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-24.05.2024

- उपस्थित (केकड़ी)
1. वकील प्रार्थी- श्री सांवरलाल चौधरी, श्री शिवचरण चौधरी
  2. वकील अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 श्री धर्मवीर बामनिया
  2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 849 में दर्ज खसरा नं. 2368 रकबा 0.73 कुल किता 01 कुल रकबा 0.73 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 05 लगायत 07 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 07 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की और से अधिवक्ता श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थीगणों से जवाब प्राप्त कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण

५  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

सही होना स्वीकार किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में लिखित कथनों को दोहराते हुए, निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अपनी आराजी में पुश्तैनी समय से ही गेडबंदी कर रखी है। अतः इस दौरान कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगणों का प्रश्नगत आराजी में मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा आदिनांक तक प्रार्थना-पत्र में वर्णित अपनी आराजी को प्रार्थीयां द्वारा देखा तक नहीं गया है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र केवल अप्रार्थीगणों हेरान-परेशान करने बाबत् पेश किया गया है, जिसे सव्यय खारिज किया जावे। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुरथल के खाता संख्या 849 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 849 में दर्ज खसरा नं. 2368 रकबा 0.73 कुल किता 01 कुल रकबा 0.73 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरू प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)